पत्रांक—11 न०वि०विविध (Rain Water Harvesting)—42/2019 330... न०वि० एवं आ०वि० बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:--

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् / नगर पंचायत। (सूची के अनुसार)

पटना, दिनांक-<u>./</u>3:09.2019

_ 1 _

विषय – जल जीवन हरियाली अभियान के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित निजी भवनों में Rain Water Harvesting System सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य के जल स्त्रोतों एवं भू जल स्तर में हो रहे कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा "जल जीवन हरियाली अभियान" के कार्यक्रमों के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में Rain Water Harvesting System की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार भवन उपविधि, 2014 के अन्तर्गत उपविधि–51 के अनुसार सभी प्रकार के भूखंडों पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में Rain Water Harvesting की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक 100 वर्गमीटर के छत क्षेत्र के लिए न्यूनतम 6 घनमीटर का Recharge Pit तैयार किया जाना है, जिसे छोटे–छोटे कंकड़ों से या ईट की जाली से या नदी के बालू से भरा जाना है और छिद्र वाले कंकीट स्लैब से ढ़का जाना है।

"जल जीवन हरियाली अभियान" के तहत वर्षा जल के संचयन एवं इसके रिचार्ज के माध्यम से भू—जल स्तर ऊपर लाने के लिए विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विभाग द्वारा निर्गत दिशानिदेश, Model design एवं Model Estimate विभाग के Website पर उपलब्ध है। वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराये जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली, 2013 के नियम 11 (3) में किया गया है।

बिहार भवन उपविधि, 2014 में किए गए प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य से इसके प्रथम चरण में राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में अवस्थित 500 वर्गमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के छत वाले भवनों में वर्षा जल संमरण प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे भवनों को Google Map एवं GIS Base Map के आधार पर चिन्हित कर इसकी सूची विभाग द्वारा KML/KMZ File के साथ तैयार की गयी है। इस प्रकार चिन्हित भवनों की अद्यतन सूची तत्काल इस पत्र के साथ

संलग्न कर भेजी जा रही है। इन भवनों को सरकारी एवं निजी भवनों की श्रेणी में Colour Code के साथ चिन्हित किया गया है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के भवनों में वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयों के द्वारा की जाएगी। अन्य भवनों में वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था लागू करने के लिए नगरपालिका द्वारा विशेष अभियान के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस विशेष अभियान के क्रम में नगरपालिका द्वारा उपरोक्त वर्णित सूची में चिन्हित भवनों के भू—स्वामी को भवन / परिसर में वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था के सुचारु कार्यान्वयन के लिए 30 दिनों की अवधि का अवसर देते हुए संलग्न प्रपत्र में नोटिस दिया जाएगा। कार्यालय एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आँकड़ों एवं सूचना के आधार पर 15 मीटर या उससे अधिक उँचाई वाले अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक के आच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले व्यवसायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अथवा ऐसे व्यवहार वाले मिश्रित उपयोग वाले भवनों / परिसरों की सूची तैयार की जाएगी एवं इन भवनों में वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था के सुचारु कार्यान्वयन के लिए भवन / परिसर के स्वामी को संलग्न प्रपत्र में नोटिस दिया जाएगा। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर संलग्न सूची के अतिरिक्त चिन्हित भवनों की सूची GIS Mapping के लिये विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

नोटिस में दिये गए अवधि के उपरान्त संबंधित भवनों /परिसरों में वर्षा जल संभरण प्रणाली के कार्यान्वयन की जाँच की जाएगी। कार्य पूर्ण होने पर इसका फोटो, भू—स्वामी के नाम एवं पता के साथ Geo Tag किया जाए एवं इसके आधार पर नियमानुसार होल्डिंग टैक्स में छूट दी जाए। नोटिस के अनुपालन नहीं होने की दशा में भवन उपविधि, 2014 के प्रावधानों के उल्लंघन के आलोक में दंडात्मक कार्रवाई तथा आवश्यकतानुसार भवन / परिसर को सील करने की कार्रवाई की जाए।

अनु०-यथोक्त।

प्रधान सचिष,

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

Shi

<u>नोटिस</u>

	(संख्या–)
प्रेषित,	
	,
	,
	,
	आपके भवन / परिसर (नाम एवं पुरा पता)
	में वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं
	होने / अपूर्ण होने / अक्रियाशील होने की सूचना प्राप्त हुई है।
	एत्द द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि बिहार भवन उपविधि, 2014
	के अन्तर्गत उपविधि—51 में किए गए प्रावधानों के तहत् भवन / परिसर में वर्षा जल
	संभरण प्रणाली की व्यवस्था 30 दिनों के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाए
	एवं इसके अनुपालन की सूचना से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये। इस
	संदर्भ में वर्षा जल संभरण प्रणाली का एक Model Design संलग्न किया जा रहा
	है। नोटिस के अनुपालन की जाँच के लिए 30 दिनों की अवधि के उपरान्त निरीक्षण
	किया जाएगा। नोटिस के अनुपालन नहीं होने की दशा में भवन उपविधि के
	प्रावधानों के उल्लंघन के आलोक में दंडात्मक कार्रवाई तथा आवश्यकतानुसार
	भवन / परिसर को सील करने की कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं
	जिम्मेवार होंगे।
	जिस्मवार हाग।

(हस्ताक्षर एवं तिथि, नाम/पदनाम) (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत

Building Mapping (>464sqmt.)						
SI No	ULB Name	ULB Boundary Use	No of Building	ULB Kmz		
1	Araria	Tentative	30	yes		
2	Forbesganj	Tentative	26	yes		
3	Jogbani	Tentative	16	yes		
4	Sultanganj	Tentative	35	yes		
5	Naugachia	Tentative	40	yes		
	Kahalgaon	Tentative	14	yes		
7	Khagaria	Tentative	71	yes		
	Gogri Jamalpur	Tentative	13	yes		
9	Sheikhpura	Tentative	37	yes		
10	Madhubani	Tentative	31	yes		
11	Jaynagar	Tentative	11	yes		
12	Jhanjharpur	Tentative	9	yes		
13	Ghoghardiha	Tentative	20	yes		
14	Samastipur	Tentative	20	yes		
15	Dalsingh Sarai	Tentative	27	yes		
16	Rosera	Tentative	9	yes		
17	Islampur	Tentative	14	yes		
18	Warisaliganj	Tentative	19	yes		
19	Bairgania	Tentative	20	yes		
20	Belsand	Tentative	. 5	yes		
21	Janakpur Road	Tentative	21	yes		
22	Raxaul	Tentative	59	yes		
23	Chakia	Tentative	41	yes		
24	Sagauli	Tentative	13	yes		
25	Areraj	Tentative	27	yes		
26	Kesariya	Tentative	12	yes		
27	Mehsi	Tentative	, 5	yes		
28	Hisua	Tentative	8	yes		
Total			653			

Ramesh Mondal 11/09/2019